संख्या-1605/9-9-10- 76ज/10

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2010

विषयः- तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/1015-शा0/152 (11) /तृ0रा0वि0 आ0/2010-11 दिनॉक 01.06.2010, जिसके माध्यम से यह स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है कि निकायों द्वारा 1/12 भाग की आहरित धनराशि से वेतन,पेंशन इत्यादि के वितरण के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बचती है तो सम्बन्धित निकाये आवश्यकतानुसार विकास कार्य पर व्यय कर सकती है अथवा नही, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों को आवंटित धनराशि का उनके द्वारा 1/12 भाग प्रतिमाह आहरण के पश्चात् आहरित धनराशि से कर्मियों के वेतन,पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के बाद अवशेष बचती है तो अवशेष धनराशि को निकायों के बैंक में खुले उनके खाते में रखा जायेगा साथ ही साथ उक्त अवशेष धनराशि से निकायों में विकास कार्य ही कराया जायेगा।

तदनुसार समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-2572/नौ-9-2010-76 ज/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय उ0प्र0
इन्दिरा भवन आठवां तल,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ

दिनांक 23 नवम्बर, 2010

विषयः- तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि का संक्रमण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/1015-शा0/152(11)/तृ0रा0वि0आ0/2010-11 दिनांक 01.06.2010, के क्रम में शासनादेश संख्या-1605/नौ-9-10-76ज/2010 दिनांक 12.7.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से यह निर्देश जारी किये गये है कि निकायों को आवंटित धनराशि का उनके द्वारा 1/12 भाग प्रतिमाह आहरण के पश्चात् आहरित धनराशि से कर्मियों के वेतन, पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के बाद अवशेष बचती है तो अवशेष धनराशि को निकायो के बैंक मे खुले उनके खाते में रखा जायेगा साथ ही साथ उक्त अवशेष धनराशि से निकायों मे विकास कार्य ही कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.7.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मियों के वेतन , पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के साथ ही साथ उनके उक्त मद के एरियर का भुगतान भी नियमानुसार कराया जायेगा ।

तदनुसार समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे ।

भवदीय,
ह0/-
(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

स्थानीय निकाय निदेशालय ,उ0प्र0
इन्दिरा भवन आठवां तल लखनऊ ।

संख्या-8/5120/152(11)/तृ0रा0वि0रा0आ0/2010-11

दिनांक ~~24~~ 25 नवम्बर 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग,(अनुभाग-9) लखनऊ ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- विशेष सचिव, वित्त संसाधन अनुभाग (राज्य वित्त प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
4- बजट अधिकारी, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त महापौर, नगर निगम/समस्त अध्यक्ष नगर पालिका परिषदे/नगर पंचायते उ0प्र0 ।
7- समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उ0प्र0 ।
8- समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायते, उ0प्र0 ।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

25/11/10

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक ।